"खाता दुरुस्ती आवेदन–पत्र"

(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

सेवा में ,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ

विषयः– राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय ,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम ओज्याडा की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 565, 566, 517 व 649 मे मुझ प्रार्थी का नाम रामा पुत्र देवा अहीर दर्ज रिकॉर्ड है जबकि मुझ प्रार्थी का सही नाम रामलाल s/o देवालाल अहीर निवासी ओज्याडा है। अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक 6/2/2025

प्रार्थी

(नि० रामलाल अहीर)

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम ओज्याडा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 517, 565 566, 649 में प्रार्थी का नाम रामा पुत्र देवा अहीर दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंग्न आधार कार्ड व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम रामलाल पुत्र देवालाल है जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. [signature]

पटवारी कौशल्या मेघवाल

हल्का पटवारी ओज्याडा

भू.अ.नि.

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

D.No. LR 276/07-3-25

प्रार्थी द्वारा रा०भू०राज० अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी ओज्याडा व भू.अ.नि. हमीरगढ एवं प्रार्थी द्वारा सलंग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम ओज्याडा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 517, 565, 566, 649 में प्रार्थी का नाम रामा के बजाय रामा उर्फ रामलाल किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

5.20. 44/25 7/3/25

[signature] 7/3/2025

तहसीलदार / नायब तहसीलदार
हमीरगढ

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ ग्राम ओज्याडा जमाबन्दी संवत् 2075-2078 खाता संख्या 517, 565, 566, 649 में दर्ज प्रार्थी का नाम रामा अहीर के स्थान पर रामा उर्फ रामलाल अहीर संशोधन के आदेश दिये जाते है।

[signature] 4/3/25

उपखण्ड अधिकारी